न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 58/2020

इन्द्रजीत सिंह जिला प्लाट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक
जिला– टोंक

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 6–1–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को दिनांक 8–10–2020 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1–जिला कलेक्टर टोंक के पत्र कमांक 1608 दिनांक 15–6–20 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना सम्पूर्ण पत्रावली सहित आर0टी0आई0 के तहत देने–

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे. जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ने उनके पत्र कमांक 10161 दिनाक 22–12–2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र कमांक 6063 दिनांक 16–6–20 से आयुक्त नगर परिषद टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र लिख दिया गया था जिसकी छाया प्रति संलग्न है, इस सम्बन्ध में आवेदक को पत्र कमांक 10007 दिनांक 3–11–2020 से सूचित किया जा चुका है। आवेदक को दिये गये पत्र प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:40:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)

Scanned by CamScanner